



## ट्रांसजेंडर व्यक्तियों (अधिकारों का संरक्षण) वधियक, 2019

### चर्चा में क्यों?

लोकसभा ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक सशक्तीकरण के लिये एक वधियक ट्रांसजेंडर व्यक्तियों (अधिकारों का संरक्षण) वधियक, 2019 पारित किया।

### ट्रांसजेंडर

#### Transgender

- ट्रांसजेंडर वह व्यक्ती है, जो अपने जन्म से निर्धारित लिंग के विपरीत लिंगी की तरह जीवन बतियाता है।
- जब किसी व्यक्ती के जननांगों और मस्तिष्क का विकास उसके जन्म से निर्धारित लिंग के अनुरूप नहीं होता है तब महिला यह महसूस करने लगती है कि वह पुरुष है और पुरुष यह महसूस करने लगता है कि वह महिला है।

### प्रमुख बडि

- इस वधियक में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक सशक्तीकरण के लिये एक कार्य प्रणाली उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है।
- इस वधियक से हाशिये पर खड़े इस वर्ग के वरिद्ध लांछन, भेदभाव और दुर्व्यवहार कम होने तथा इन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने से अनेक ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को लाभ पहुंचेगा।
- इससे समग्रता को बढ़ावा मल्लेगा और ट्रांसजेंडर व्यक्ती समाज के उपयोगी सदस्य बन जाएंगे।
- ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को सामाजिक बहिष्कार से लेकर भेदभाव, शकिषा सुवधियाओं की कमी, बेरोजगारी, चकितिसा सुवधियाओं की कमी, जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है।
- ट्रांसजेंडर व्यक्ती (अधिकारों की सुरक्षा) वधियक, 2019 एक प्रगतशील वधियक है क्योंकि यह ट्रांसजेंडर समुदाय को सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से सशक्त बनाएगा।

## ट्रांसजेंडर व्यक्ती (अधिकारों का संरक्षण) वधियक, 2019

### Transgender Persons (Protection of Rights) Bill 2019

- ट्रांसजेंडर व्यक्ती को परभाषित करना।
- ट्रांसजेंडर व्यक्ती के वरिद्ध वभिद का प्रतषिध करना।
- ऐसे व्यक्ती को उस रूप में मान्यता देने के लिये अधिकार प्रदत्त करने और स्वतः अनुभव की जाने वाली लिंग पहचान का अधिकार प्रदत्त करना।
- पहचान-पत्र जारी करना।
- यह उपबंध करना कि ट्रांसजेंडर व्यक्ती को किसी भी स्थापन में नयोजन, भरती, प्रोन्नत और अन्य संबंधित मुद्दों के वषिय में वभिद का सामना न करना पड़े।
- प्रत्येक स्थापन में शकियात नविरण तंत्र स्थापित करना।
- वधियक के उपबंधों का उल्लंघन करने के संबंध में दंड का प्रावधान सुनिश्चित करना।

## भारत में ट्रांसजेंडर्स के समकष आने वाली परेशानियाँ

- ट्रांसजेंडर समुदाय की वभिन्न सामाजिक समस्याएँ जैसे- बहिष्कार, बेरोज़गारी, शैक्षिक तथा चिकित्सा सुविधाओं की कमी, शादी व बच्चा गोद लेने की समस्या, आदि।
- ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को मताधिकार वर्ष 1994 में ही मलि गया था, परंतु इन्हें मतदाता पहचान-पत्र जारी करने का कार्य पुरुष और महिला के प्रश्न पर उलझ गया।
- इन्हें संपत्तिका अधिकार और बच्चा गोद लेने जैसे कुछ कानूनी अधिकार भी नहीं दयि जाते हैं।
- इन्हें समाज द्वारा अक्सर परतियक्त कर दयिा जाता है, जिससे ये मानव तस्करी का आसानी से शिकार बन जाते हैं।
- अस्पतालों और थानों में भी इनके साथ अपमानजनक व्यवहार कयिा जाता है।

## सामाजिक तौर पर बहिष्कृत

- भारत में कनिंरों को सामाजिक तौर पर बहिष्कृत कर दयिा जाता है। इसका मुख्य कारण इन्हें न तो पुरुषों की श्रेणी में रखा जा सकता है और न ही महिलाओं की, जो लैंगिक आधार पर वभिजन की पुरातन व्यवस्था का अंग है।
- इसका नतीज़ा यह होता है किये शक्ति हासलि नहीं कर पाते हैं और बेरोज़गार ही रहते हैं। ये सामान्य लोगों के लयि उपलब्ध चिकित्सा सुविधाओं का लाभ तक नहीं उठा पाते हैं।
- इसके अलावा ये अनेक सुविधाओं से भी वंचति रह जाते हैं।

और पढ़ें...

[लोकसभा में ट्रांसजेंडर वधियक पास](#)

[ट्रांसजेंडर होना मानसिक विकार नहीं](#)

[केरल में आधिकारिक तौर पर 'ट्रांसजेंडर' शब्द के प्रयोग की घोषणा](#)

**स्रोत: PIB**

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/transgender-persons-protection-of-rights-bill-2019>